



Affiliated to CBSE, New Delhi Affiliation No. 2131685

दिनांक : 10.05.2025

Date

Ref. सेवा में,
जिला विद्यालय निरीक्षक
कानपुर नगर

शुद्धपत्र

क्र० स०	स्वदित्तपेशित शुल्क नियामक अधिनियम 2018 के अध्याय दो के महत्वपूर्ण बिन्दु	विद्यालय/संस्था द्वारा शासनादेश में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये गये कार्य के सम्बन्ध में आख्या	विद्यालय/संस्था द्वारा शासनादेश में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यपूर्ण न करने वाले कार्य का विवरण	अभ्युक्ति
1	प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख, प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को, आगामी शैक्षिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:-3(4))	गजट के मानक अनुसार उद्ग्रहीत शुल्क		
2	ऐसा विद्यालय प्रत्येक शैक्षिक वर्ष नवीन प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेगा एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित भी करेगा। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:-3(5))	प्रदर्शित करते हैं।		
3	फीस का विवरण प्रकाशित किये जाने के समय उक्त विद्यालय यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि संदाय, मासिक या त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक किस्मों में किया जायेगा। परन्तु कोई विद्यालय यह एकनात्र व्यवस्था नहीं करेगा कि शुल्क का संदाय वार्षिक आधार पर किया जाये। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:-3(6))	मासिक शुल्क		
4	कोई विद्यालय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, शैक्षिक सत्र के दौरान उप धारा (4) के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:-3(7))	संसूचित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लेते हैं।		
5	छात्र से उद्ग्रहित प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जायेगी। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:-3(9))	प्रत्येक शुल्क की रसीद जारी की जाती है।		
6	किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, नोजे, व यूनीफार्म आदि किसी किसी विषिष्ट दुकान से कय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:-3(10))	बाध्य नहीं किया जाता है		
7	विद्यालय द्वारा यदि निम्न शैक्षिक वर्षों के भीतर विद्यालय वापस न परिवर्तन नहीं किया जायेगा, यदि परिवर्तन अपेक्षित हो तो इससे परिवर्तन जननीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित आक्षेप के साथ किया जा सकता है। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या:3(11))	नियमानुसार लागू		

30. *Chrysomelidae*

Daxeni

Address: Plot No. 1- Arazi No.- 527, Arra, Near Galla Mandi, Naubasta, Kanpur
M.: 7307907575, 9369241307 | Web: www.jdeducationcentre.com

8

विद्यमान छात्रों के लिए-अनुपात शुल्क नृति कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय शुल्क निर्धारण अपने विद्यमान छात्रों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आगाम्य कर्मचारी नर्म के मासिक वेतन में प्रतिव्यक्ति वृद्धि के औसत के बराबर विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/कक्षा/स्तर के लिए स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है, किन्तु शुल्क वृद्धि नवीनतम उपलब्ध मासिक प्रतिशत बढ़े हुए उपयोगिता मूल्य सूचकांक + छात्र से वसूल किये गये 05 प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी। (अध्याय दो के बिन्दु संख्या 4(1))

मानक के अनुसार

9

विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ होने के 60 दिन पूर्व अपने सूचनापट/वेबसाइट यदि कोई हो, निम्नलिखित विवरण प्रकाशित करेगा और विवरण पुस्तिका छात्रों को प्रवेश पत्र सहित उपलब्ध करायी जायेगी।

(क) मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी, प्रत्यायन एवं सम्बद्धता

(ख) प्रवेश नीति

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं निधि संरचना का विवरण।

(घ) छात्रावास, खेल पाठ्यचर्या, सम्बन्धी क्रिया कलापो और अतिरिक्त पाठ्यचर्या सम्बन्धी क्रिया कलापो सहित सुविधाओं का विवरण।

(ङ) विद्यार्थी स्थान अनुपात एवं विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात का विवरण

(अध्याय दो के बिन्दु संख्या 7 (1))

(क) सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध

(ख) प्रवेश परीक्षा द्वारा

(ग) पूर्व वर्ष एवं चालू वर्ष का विवरण देते हैं।

(घ) एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी चार्ट संलग्न है।

(ङ) 16 कक्षाएं, 21 कनरे, 34 अध्यापक

I.D. Education

Daxem

J.D. Education Centre
Arra Road, Near Gallamandi, Naubasta, Kanpur
Fee Structure

FEES COMPONENTS	Total Amount Payable (2025-26)
ADMISSION FORM	500
ADMISSION FEE (PRE PRIMERY TO CLASS V)	3000
ADMISSION FEE (CLASS VI TO CLASS VIII)	4000
ADMISSION FEE (CLASS IX)	5000
ADMISSION FEE (CLASS X)	7000
ADMISSION FEE (CLASS XI)	7000
ADMISSION FEE (CLASS XII)	10000
TUTION FEES	
CLASS-PG	20800
CLASS-L.K.G.	22000
CLASS-K.G	23200
CLASS-1	27400
CLASS-II	28600
CLASS-III	29800
CLASS-IV	30400
CLASS-V	31600
CLASS-VI	32800
CLASS-VII	34000
CLASS-VIII	35200
CLASS-IX	38800
CLASS-X	40000
CLASS-XI PCM	44800
CLASS-XI PCB	47200
CLASS XI COMMERCE & HUMANITIES	40000
CLASS-XII PCM	44800
CLASS-XII PCB	47200
CLASS-XII COMMERCE & HUMANITIES	40000

Note: FEE IS CHARGED EVERY TWO MONTHS, TOTAL FEE IS CHARGED IN SIX TIMES IN ACADEMIC

Signature